

कार्यालय: मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :- 2612

दिनांक :- 03/11/2023

आदेश

(न्यायिक जांच अन्तर्गत धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता/मृत्युकालिक कथन हेतु)

माह-नवम्बर, 2023

मैं, नरेन्द्र कुमार खत्री, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की परिसीमा के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण की सीमा में पुलिस अभिरक्षा में अन्वेषणाधीन बन्दी, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर महानगर में विचाराधीन/सजायाफ़ता बन्दी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु की जांच विधिक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना आवश्यक हो, उनकी अप्राकृतिक/संदिग्ध मृत्यु होने की स्थिति में धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत जांच एवं मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य करने तथा जयपुर महानगर-प्रथम न्यायक्षेत्र की परिसीमा में स्थित किसी अस्पताल में उपचाररत आहतगण के संबंध में मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु **माह-नवम्बर, 2023** में राजकीय अवकाशों के दिन निम्नलिखित सारणी में कॉलम नम्बर 2 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम नम्बर 3 में अंकित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी जिनका नाम कॉलम नम्बर 04 में अंकित है, को निम्न प्रकार अधिकृत करता हूँ :-


माह-नवम्बर, 2023 के राजकीय अवकाशों के दिन

क्र.सं.	राजपत्रित अवकाशों के दिन	नाम मजिस्ट्रेट न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र	नाम पीठासीन अधिकारी (सुश्री/श्रीमती/श्री) व मोबाईल नम्बर
कॉलम (1)	कॉलम नं० (2)	कॉलम नं० (3)	कॉलम नं० (4)
1.	05.11.2023	एम.एम., क्रम-01, जयपुर महानगर प्रथम	अमर सिंह खारड़िया, आर.जे.एस. मो० नं० 94602-87600
2.	10.11.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-09 जयपुर महानगर प्रथम	महेन्द्र मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 70140-90053
3.	11.11.2023	एम.एम., ईस्ट, जयपुर महानगर प्रथम	संध्या पूनिया, आर.जे.एस. मो० नं० 93588-98620
4.	12.11.2023	ए.सी.एम.एम., क्रम-10, जयपुर महानगर प्रथम	मनीष शर्मा, आर.जे.एस. मो० नं० 96601-98034
5.	13.11.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-05 जयपुर महानगर प्रथम	वृष्टि विज, आर.जे.एस. मो० नं० 88004-41494
6.	14.11.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-02 जयपुर महानगर प्रथम	अभीप्सा चारण, आर.जे.एस. मो० नं० 70620-65704
7.	15.11.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-13 जयपुर महानगर प्रथम	हेमन्त मेहरा, आर.जे.एस. मो० नं० 81077-18547
8.	19.11.2023	एम.एम., क्रम-12, जयपुर महानगर प्रथम	ऐश्वर्या एस. अग्रवाल, आर.जे.एस. मो० नं० 94253-06423
9.	25.11.2023	एम.एम., क्रम-02, जयपुर महानगर प्रथम	आशीष बैन्दाड़ा, आर.जे.एस. मो० नं० 97859-60721
10.	26.11.2023	विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन. आई एक्ट केसेज), क्रम-07 जयपुर महानगर प्रथम	बीना मीणा, आर.जे.एस. मो० नं० 82339-69059
11.	27.11.2023	एम.एम., क्रम-01, जयपुर महानगर प्रथम	अमर सिंह खारड़िया, आर.जे.एस. मो० नं० 94602-87600
12.	नोट नं० (1) :- नवम्बर, 2023 में आकस्मिक रूप से घोषित अवकाश के दिन/उपरोक्त में से किसी अधिकारी के अचानक अवकाश पर रहने पर।	ए.सी.एम.एम., क्रम-2, जयपुर महानगर प्रथम	संतोष कुमार बैरवा, आर.जे.एस. मो० नं० 99298-85943

नोट-(1) अवकाश के दिन कार्य करने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी से मुख्यालय परित्याग करने की अनुमति/स्वीकृति प्राप्त कर मुख्यालय पर उपलब्ध ना होने की स्थिति में आगामी क्रम पर अंकित अधिकारी उपरोक्त कार्य सम्पादित करेंगे तथा अन्तिम क्रम पर अंकित अधिकारी के अवकाश पर रहने की स्थिति में क्रम 1 पर अंकित अधिकारी व उसके उपरान्त पश्चातवर्ती अधिकारी के द्वारा इसी चक्रानुसार उक्त कार्य सम्पादित किया जावेगा।

(2) उपरोक्त अवकाश की तिथियों को उक्त कार्य किये जाने हेतु अधिकृत किये गये पीठासीन अधिकारी सम्बन्धित तिथियों को मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे।

(3) अवकाश के दिन कार्य करने हेतु अधिकृत किए गये पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी नियत तिथि के पूर्व दिवस को कार्यालय समय समाप्ति से प्रारम्भ होकर अवकाश के दिन से आगामी तिथि को कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक रहेगी।



मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

क्रमांक :- 2613 + 2625

दिनांक :- 03/11/2023

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि यदि उपरोक्तानुसार अवकाश के दिन धारा 176 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मृतक की मृत्यु के कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच/अन्य मृत्युकालीन समीक्षा सम्बन्धी कार्य व मृत्युकालीन कथन लेखबद्ध करने हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई हो तो निरस्त करने की कृपा करें।
2. श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक ए.टी.एस., जयपुर महानगर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि सम्बन्धित आरक्षी केन्द्रों को निर्देशित करने का श्रम करें।
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
4. श्रीमान् पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर।
5. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त में से किसी अधिकारी को लोक अदालत/अन्य विधिक सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया हुआ हो तो उसे उक्त कार्य से उन्मुक्त करने का श्रम करें।
6. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट/विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (एन0आई0 एक्ट कॅसेज), जयपुर महानगर प्रथम।
8. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने हेतु
9. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
10. एस.एच.ओ., पुलिस थाना मोतीडूंगरी/शास्त्री नगर/जवाहर सर्किल/जवाहर नगर/एस.एम.एस.
11. वरिष्ठ लिपिक, संस्थापन शाखा, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।
12. सिस्टम ऑफीसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण / समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर प्रथम आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा इस ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कर इस कार्यालय को सूचित करें।
13. नोटिस बोर्ड/कार्यालय आदेश पत्रावली/संबन्धित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम